एकल पीठ

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रमांक **186/2006**

अपीलार्थी**(**वादी**):**

रायधर, आत्मज सोनधर, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी ग्राम किंजोली, तहसील - जगदलपुर, जिला बस्तर (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण**(**प्रतिवादीगण**):**

1. (a) दोमाई, विधवा स्व. गुरु आयु 50 वर्ष

   (b) धनपति, आत्मज स्व. गुरु 28 वर्ष

   (c) डूमरधर, आत्मज स्व. गुरु आयु लगभग 22 वर्ष

   (सभी निवासी ग्राम - काकोड़ी, सेमरा तहसील - कोटपाड़, जिला कोरापुट (उड़ीसा)

2. मंगल, आत्मज जगन्नाथ, आयु लगभग 70 वर्ष, जाति भतरा, निवासी ग्राम - किंजोली तहसील - जगदलपुर, जिला बस्तर (छत्तीसगढ़)

3. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

4. मु. नंदय, आत्मज फिरंगी, जाति - भतरा, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी ग्राम - किंजोली तहसील - जगदलपुर, जिला बस्तर (छत्तीसगढ़)

5. मोतीराम, आत्मज मोहन, भतरा, आयु लगभग 48 वर्ष,

6. श्रीराम, आत्मज मोहन भतरा, आयु लगभग 48 वर्ष,

   (क्र. 5 एवं 6 निवासी ग्राम - काकोड़ी, सेमरा, तहसील - कोटपाड़, जिला कोटपाड़, जिला कोरापुट (उड़ीसा)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>व्यवहार प्रक्रिया संहिता**, 1908** की धारा **100** के अधीन प्रस्तुत द्वितीय अपील</u>

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रमांक **186/2006**

रायधर

विरुद्ध

दोमाई एवं अन्य

कु. शर्मिला सिंघई, अपीलार्थी की अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(दिनांक **28.6.2006)**

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा**:**

(1) यह वादी की द्वितीय अपील है जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अधीन प्रस्तुत की गई है। वादी दोनों न्यायालयों में हार चुका है।

(2) यह अपील आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.1.2006 जो व्यवहार अपील क्रमांक 18-ए/2005 में चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ द्वारा पारित है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जो निर्णय एवं

डिक्री दिनांक 8.11.2004 से उद्भूत है जो व्यवहार वाद क्रमांक 75-ए/98 में प्रथम सिविल न्यायाधीश, वर्ग-II, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा पारित की गई थी।

(3) संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि वादी ने स्वत्व की घोषणा और साथ ही इस घोषणा के लिए भी एक वाद प्रस्तुत किया कि राजस्व न्यायालय द्वारा दिनांक 28.7.93 को पारित आदेश अकृत एवं शून्य है। उसने आधिपत्य के पुष्टिकरण की डिक्री के लिए भी प्रार्थना की। वादपत्र के अभिकथन यह हैं कि वाद भूमियां श्री अर्जुन की स्व-अर्जित संपत्ति थीं, जो डूडी नामक व्यक्ति का पुत्र था। यह अभिवचन किया गया है कि अर्जुन के दो बच्चे थे नामतः जमना बाई और कुलधर। कुलधर की मृत्यु के कारण, अर्जुन ने सोनधर (वादी के पिता) को अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उसने वादपत्र की अनुसूची-ए की संपत्ति को अपने उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों में प्राप्त किया और सोनधर की मृत्यु के पश्चात, वादी जो सोनधर का पुत्र है, ने उक्त संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त किया। वादी मृतक अर्जुन के उत्तराधिकार की पंक्ति में उक्त रीति से उत्तराधिकार संबंधी अधिकार के आधार पर स्वामित्व का दावा करता है। इस अभिकथन से प्रतिवादीगण द्वारा इंकार किया गया था। उन्होंने अभिवचन किया कि वाद संपत्ति अर्जुन की स्व-अर्जित संपत्ति नहीं थी। उन्होंने आगे यह अभिवचन किया कि सोनधर को अर्जुन द्वारा दत्तक नहीं लिया गया था और वह दत्तक पुत्र नहीं था, अतः, वादी द्वारा, जो सोनधर का पुत्र है, अर्जुन की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) विचारण न्यायालय ने इस प्रकरण में विभिन्न विवाद्यक विरचित किए और विवाद्यक क्रमांक 3 के उत्तर में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि वाद संपत्ति अर्जुन की स्व-

अर्जित संपत्ति थी। हालांकि, यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि वादी यह स्थापित नहीं कर सका कि उसके पिता सोनधर को अर्जुन द्वारा दत्तक लिया गया था और इस आधार पर, विचारण न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित पूर्वोक्त निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध, वादी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी वही दृष्टिकोण अपनाया और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पुष्टि की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित इसी निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध, वादी ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 100 केअधीन यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय का परिशीलन करने के पश्चात और आगे इस प्रकरण में लेखबद्ध किए गए विभिन्न साक्षियों के साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात, यह स्पष्ट है कि वादी यह स्थापित नहीं कर सका कि उसके पिता नामतः सोनधर अर्जुन के दत्तक पुत्र थे क्योंकि इस प्रकरण में अर्जुन द्वारा सोनधर के वैध दत्तक ग्रहण का कोई पर्याप्त साक्ष्य प्रतीत नहीं होता है। इस न्यायालय के मतानुसार विचारण न्यायालय ने सही अभिनिर्धारित किया है कि वादी अर्जुन द्वारा अपने पिता के वैध दत्तक ग्रहण को सिद्ध करने में विफल रहा। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्वारा अभिलिखित समवर्ती निष्कर्षों में कोई विकृति नहीं है।

(6) रूप सिंह **(**मृत**)** द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण **-** विरुद्ध **-** राम सिंह **(**मृत**)** द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण**, (2000) 3** एस**.**सी**.** सी**. 708** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अधिकथित किया गया है कि "यह दोहराया जाता है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता

की धारा 100 के अधीन, द्वितीय अपील ग्रहण करने की उच्च न्यायालय की अधिकारिता केवल ऐसी अपीलों तक ही सीमित है जिनमें विधि का सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो और यह व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को तथ्य के विशुद्ध प्रश्नों में हस्तक्षेप करने की कोई अधिकारिता प्रदान नहीं करता है।"

(7) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा त्यागराजन एवं अन्य -विरुद्ध- श्री वेणुगोपालस्वामी बी. कोइल एवं अन्य, **(2004) 5** एस.सी.सी. पृष्ठ **762** के मामले में पुनः यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "व्यवहार प्रक्रिया संहिता की संशोधित धारा 100 के अधीन अधिकारिता के प्रयोग के लिए विधि के सारवान प्रश्न की विद्यमानता अपरिहार्य शर्त है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विधि का सारवान प्रश्न क्या माना जाएगा, इस पर संतोष हजारी -विरुद्ध- पुरुषोत्तम तिवारी **(2001) 3** एस.सी.सी. **179** के मामले में विचार किया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "विधि का एक बिंदु जिस पर दो मत नहीं हो सकते वह विधिक प्रतिपादन हो सकता है परंतु विधि का सारवान प्रश्न नहीं हो सकता। 'सारवान' होने के लिए विधि का प्रश्न तर्कयोग्य होना चाहिए, जिसे विधि या पूर्व निर्णय द्वारा पहले से निर्णीत नहीं किया गया हो, और प्रकरण के निर्णय पर उसका सारवान प्रभाव होना चाहिए, चाहे उसका उत्तर किसी भी रूप में दिया जाए, जहां तक कि उसके समक्ष पक्षकारों के अधिकारों का संबंध है। प्रकरण में अंतर्ग्रस्त विधि का प्रश्न होने के लिए पहले इसके लिए अभिवचनों में एक आधार रखा जाना चाहिए और यह प्रश्न अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पहुंचे गए तथ्य के संधारणीय

निष्कर्षों से उभरना चाहिए और प्रकरण के न्यायपूर्ण एवं उचित निर्णय के लिए विधि के उस प्रश्न का विनिश्चय करना आवश्यक होना चाहिए। उच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाया गया एक पूर्णतः नया बिंदु प्रकरण में अंतर्ग्रस्त प्रश्न नहीं होता है जब तक कि यह मामले की जड़ तक न जाता हो। अतः, यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि विधि का कोई प्रश्न सारवान है और प्रकरण में अंतर्ग्रस्त है, या नहीं; परम सर्वोपरि विचार यह है कि सभी प्रक्रमों पर न्याय करने की अपरिहार्य बाध्यता और किसी भी वाद समयावधि को लंबा खींचने से बचने की तीव्र आवश्यकता के मध्य एक न्यायसंगत संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) इस न्यायालय के मतानुसार, इस अपील में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं है। अपील में कोई सार नहीं है। इसे प्रारंभिक चरण पर ही खारिज किया जाता है।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**